कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांक – 52 दिनांक – 09–10–2026

–: संशोधित कार्यालय आदेश :–

मैं, **सिद्धार्थ सान्दू** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर एतद्द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक–Gen./XIX/Misc./2000/911/718 दिनांक–01.06.2001 की पालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–51 दिनांक–05–10–2026 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 10–10–2026 को आवश्यक कार्य/प्रोटॉकॉल कार्य हेतु मुख्यालय पर रहने हेतु पूर्व में अधिकृत पीठासीन अधिकारी **श्री लव प्रजापति, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 06, जोधपुर महानगर, जोधपुर** की ड्यूटी को प्रशासनिक कारणों से निरस्त कर उनके स्थान पर निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उनके नाम से पूर्व कॉलम में अंकित तिथि को आवश्यक कार्य/प्रोटॉकॉल कार्य हेतु मख्यालय पर रहने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करता हूँ, अन्य दिनांक हेतु पूर्ववर्ती आदेश प्रभावी रहेगा –

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय
01.	10–10–2026	श्री अनुभव तिवाड़ी	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (सी.बी.आई. प्रकरण), जोधपुर महानगर, जोधपुर।

रिमाण्ड प्राधिकृत किये जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार दाण्डिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किए गए रिमाण्ड मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उक्त न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुलजिम को पेश किया जाना है।

नोट – (ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी। आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को पीठासीन अधिकारी के निवास स्थान पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सी) उपर्युक्त अवधि में पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है, तो उनके स्थान पर आने वाले उत्तरवर्ती पीठासीन अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जाएगी, न्यायालय रिक्त रहने पर अतिरिक्त प्रभार वाले पीठासीन अधिकारी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी के रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

9/10/26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांक – 1154 दिनांक – 09–10–2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु जरिए ई–मेल प्रेषित है :–

1. श्रीमान् ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
2. स्थापना शाखा, ज़िला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
3. पुलिस उपायुक्त, पूर्व, जोधपुर महानगर।
4. पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, जोधपुर महानगर।
5. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसियेशन, जोधपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसियेशन, जोधपुर।
7. उपनिदेशक, अभियोजन विभाग, जोधपुर महानगर।
8. पुलिस कण्ट्रोल रूम, जोधपुर शहर।
9. सिस्टम ऑफिसर, ज़िला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
10. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (सी.बी.आई. प्रकरण), जोधपुर महानगर, जोधपुर।
11. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 06, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
12. कार्यालय प्रति।

9/10/26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।